[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं 73/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 दिसंबर, 2018

सा.का.नि.......(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.868(अ), तारीख 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 50/2018–केन्द्रीय कर, तारीख 13 सितंबर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नहीं होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के बीच होता है ।"।

[फा.सं. 20/06/16/2018-GST]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 50/2018–केन्द्रीय कर, तारीख 13 सितंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 868(अ), तारीख 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन संख्यांक सा.का.नि.1084(अ), तारीख 5 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 61/2018–केन्द्रीय कर, तारीख 5 नवंबर, 2018 द्वारा किया गया ।